

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला खनन कार्यालय)

Transporters के लिए आम सूचना।


विज्ञापन संख्या...०२.../वर्ष...२०१७

नवगठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के नियम 53 के तहत सभी Transporters को सूचित किया जाता है कि यदि वे लघु खनिज का व्यापार करते हैं तो उन्हें 31 अक्टूबर 2017 तक अपने वाहन में Digital lock एवं GPS अनिवार्य रूप से लगा लेना होगा। अन्यथा उनके वाहन को जब्त कर नियम 75, नियम 80 (सह पठित नियम 87) के तहत मुकदमा दायर किया जायेगा।



समाहर्ता, मधुबनी।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी जिला/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



समाहर्ता, मधुबनी।